(345)

Dukaan Nirman

214

संख्या-703/स्पे0कम्पा0/26-3-93-111251/85

प्रेषक,

बी0सी0 चन्दोला,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम,
महानगर, लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3
स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान कोष्ठक

लखनऊ: दिनांक: 31 मार्च, 1993

विषय:- स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत दुकान निर्माण की पुनरीक्षित लागत का निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, महानगर, लखनऊ के पत्रांक-4504/मु0अनु0/91-92 दिनांक 27-2-92 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-3066/स्पे0कम्पा0/26-3-86-111251/85 दिनांक 5 अगस्त, 1986 द्वारा दुकान निर्माण हेतु निर्धारित लागत का संशोधन करते हुये श्री राज्यपाल शहरी/व्यावसायिक क्षेत्र दुकान निर्माण योजना के अन्तर्गत दुकानों के निर्माण की पुनरीक्षित लागत निम्नलिखित रूप से निर्धारित किये जाने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं:-

दुकान का कवर्ड क्षेत्रफल बरामदा सहित	साधारण मिट्टी वाले मैदानी क्षेत्रों में निर्माण लागतप्रति दुकान	काली कपास की मिट्टी वाले क्षेत्रों में निर्माण लागत प्रति दुकान	पर्वतीय क्षेत्रों में निर्माण लागतप्रति दुकान
1	2	3	4
13.32 वर्ग मीटर	रु0 14,000	रु0 16,500	रु0 22,500

2- दुकानों का निर्माण व्यवसायिक दृष्टि से विकसित स्थानों पर ही कराया जायेगा जहाँ लाभार्थियों के पास स्वयं की भूमि उपलब्ध हो।

...2

3- दुकानों के निर्माण के पूर्व लाभार्थियों को धनावण्टन करना अनिवार्य होगा ताकि आवण्टी दुकानों के निर्माण कार्य से सम्बद्ध रहकर निर्माण कार्य की देख रेख कर सके। दुकानों का निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं कराया जायेगा जिसके लिए लाभार्थी को निर्माण लागत की धनराशि 3 किश्तों में उपलब्ध कराई जायेगी। प्रथम 2 किश्तों से ऋण की धनराशि तथा अन्तिम किश्त में अनुदान की धनराशि उपलब्ध कराई जायेगी।

4- दुकान निर्माण हेतु लाभार्थी को दी जाने वाली धनराशि का सदुपयोग सुनिश्चित करने हेतु लाभार्थियों से अनुबन्ध पत्र भरा लिया जायेगा जिसका प्रारूप शासनादेश संख्या-2062/स0क0मा0/26-3-80-11251/85 दिनांक 21 अक्टूबर, 1980 द्वारा आपको उपलब्ध कराया जा चुका है। अनुबन्ध पत्र निष्पादन का व्यय भार लाभार्थी द्वारा वहन किया जायेगा।

5- जिन दुकानों के निर्माण हेतु स्थल क्रय की आवश्यकता होगी उसके लिए स्थल क्रय हेतु धनराशि की सीमा शासनादेश संख्या-1519/स0क0मा0/26-3-80-11251/85 दिनांक 29 मार्च, 1980 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित सीमा से अधिक न होगी तथा दुकान निर्माण हेतु अनुदान की धनराशि शासनादेश संख्या-3066/स0क0मा0/26-3-86-11251/85 दिनांक 5 अगस्त, 1986 के प्रस्तर-3 के बिन्दु संख्या-5 द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होगी।

6- दुकानों का सामान्य आकार 8x10 फीट ही रहेगा किन्तु जहाँ लाभार्थी के पास अपेक्षित क्षेत्र फल से का जमीन उपलब्ध है वहाँ विशेष परिस्थितियों में दुकान का आकार तद्नुसार समायोजित करके मूल्य भी समायोजित कर लिया जायेगा। यह सामान्य नियम नहीं होगा।

7- दुकान का निर्माण यद्यपि लाभार्थी द्वारा स्वयं कराया जायेगा किन्तु उक्त दुकान निर्माण कार्य की देख रेख ग्राम विकास अधिकारी/ए0डी0ओ0/सहायक प्रबन्धक, उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि दुकान का निर्माण निर्धारित मानकों के अनुरूप ही किया जा रहा है।

8- दुकान निर्माण की एतद्द्वारा संशोधित दरें इस शासनादेश के निर्गत होने के दिनांक के पश्चात् वर्ष 1993-94 के निर्धारित लक्ष्यों तथा आगामी वर्षों के लक्ष्यों के अधीन

...3

प्रारम्भ किये जाने वाले निर्माण कार्यों पर ही लागू होगी । पूर्व में जो निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जा चुके हैं उन पर उक्त संशोधित दरें लागू नहीं होगी ।

9- दुकान निर्माण के पश्चात् जिला प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक द्वारा निर्मित दुकान का सम्मिलित रूप से निरीक्षण करने के पश्चात् लाभार्थी की पत्रावली में इस आशय की एक टिप्पणी अंकित की जायेगी कि उनके द्वारा अमुक लाभार्थी की अमुक स्थल पर निर्मित दुकान का स्वयं निरीक्षण किया गया तथा यह पाया गया कि उक्त दुकान व्यवसायिक स्थल पर शासनादेश द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप निर्मित की गयी है और दुकान निर्माण में प्रयुक्त की गई सामग्री निर्धारित मानक के अनुसार है । उक्त टिप्पणी पर सहायक प्रबन्धक तथा जिला प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर के पश्चात् ही शासन को भेजे जाने वाली दुकानों की प्रगति रिपोर्ट में उक्त दुकान को निर्मित दुकानों की प्रगति सूचना में दर्शाया जायेगा ।

10- दुकान निर्माण के सम्बन्ध में शासन/निगम द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य आदेश तात्कालिक प्रभाव से निरस्त किये जाते हैं ।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-722/ई-12/दस/1993 दिनांक 26 मार्च, 1993 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(हस्ताक्षर)

(बी०सी० चन्दोला)
संयुक्त सचिव ।

संख्या-783(1)/एस०कम्प्यू०/26-3-93-1(251)/85 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।
(2) समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(3) निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
(4) समस्त अपर जिला विकास अधिकारी (स०क०), उत्तर प्रदेश ।
(5) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(6) महालेखाकार, लेखा प्रथम/आडिट प्रथम, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(7) संयुक्त सचिव, कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
(8) वित्त (सामान्य केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ०प्र० सचिवालय।
(9) नियोजन अनुभाग-3, उ०प्र० सचिवालय ।
(10) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-12, उ०प्र० सचिवालय ।
(11) निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर)

(बी०सी० चन्दोला)
संयुक्त सचिव।

...2